

**न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला -बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण क.685 / 2016  
 संस्थित दिनांक-29.09.2016  
 फाईलिंग क.301136 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

भागचंद पिता ब्रजलाल, उम्र-23 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम सोनगुड्डा, पुलिस चौकी सोनगुड्डा,  
 थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

**आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-15/02/2017 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(बी) सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-22.08.2016 को 8:00 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास के पास मेनरोड सोनगुड्डा में जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार-प्रकार का 6 इंच से अधिक लंबे फल का लोहे का धारदार बका बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सोनगुड्डा अंतर्गत थाना रूपझर में पदस्थ उपनिरीक्षक रवि कुमार गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सोनगुड्डा निवासी भागचंद मेरावी हाथ में बका लेकर शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास सोनगुड्डा के पास घूम रहा है, जिससे आने-जाने वाले लोग भयभीत हैं। उसने हमराह आरक्षक क्रमांक-1205 एवं 1329 के साथ बताए हुए स्थान पर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति हाथ में धारदार बका लेकर घूम रहा था। मौके पर उपस्थित गवाह सुखलाल एवं संजू उइके तथा हमराह बल की मदद से उस व्यक्ति का पकड़ा गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम भागचंद मेरावी पिता ब्रजलाल मेरावी, सोनगुड्डा बताया था। आरोपी भागचंद से बका के विषय में अनुज्ञप्ति अथवा कागजात होना पूछा गया और आरोपी के पास अनुज्ञप्ति न होने से गवाहों के समक्ष बका जप्त किया गया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक इंटेक्स

कंपनी का मोबाईल फोन भी प्राप्त हुआ। थाने आकर आरोपी के विरुद्ध चोरी के विषय में आयुध अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाकर विवेचना की गई। आरोपी के पास से मिले मोबाईल की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली बालाघाट में अपराध क्रमांक-0475, अंतर्गत धारा-457, 380 भा.द.वि. दर्ज होने से चोरी के विषय में पृथक से थाना कोतवाली द्वारा विवेचना की गई। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(बी) सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-22.08.2016 को 8:00 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास के पास मेनरोड सोनगुड्डा में जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार-प्रकार का 6 इंच से अधिक लंबे फल का लोहे का धारदार बका बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष : :

5- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रवि कुमार गुप्ता अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-22.08.2016 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा थाना रूपझर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक क्रमांक-1250 व 1329 के साथ बालक छात्रावास सोनगुड्डा के पास पहुंचकर साक्षी सुखलाल व संजू के समक्ष आरोपी भागचंद मेरावी को हाथ में बका लिये हुए पकड़ा, जो आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा था। आरोपी से बका रखने के संबंध में कागजात होने का पूछे जाने पर उसने कोई कागजात नहीं होना बताया था। आरोपी से साक्षीगण के समक्ष बका

जप्त किया गया, जिसके फल की चौड़ाई 3 इंच, फल की लंबाई 7 इंच तथा मुठ की लंबाई 4 इंच थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास इंटेक्स कंपनी का मोबाईल फोन मिला, जिसमें आई.एम.आई. नंबर-911515200230543 एवं 911515200230550 लेख था। मोबाईल में एक आईडिया कंपनी की सिम तथा डोकोमो की सिम तथा मेमोरी कार्ड सैमसंग कंपनी का मिला था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। मेमोरेण्डम कथन में आरोपी ने बताया था कि उसने दिनांक-20.08.2016 व दिनांक-21.08.2016 की मध्य रात्रि गंगानगर बालाघाट से एक घर में घुसकर मोबाईल चोरी किया था। आरोपी से मोबाईल जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता ब्रजलाल मेरावी को दी गई थी, जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके द्वारा आरोपी से बका जप्त कर रेखाचित्र बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। वह आरोपी भागचंद मेरवी व जप्त सामग्री लेकर सोनगुड्डा चौकी आया, जहां उसने आरोपी के विरुद्ध 0/16, अंतर्गत धारा-379 भा.द.वि. 41(1-4) आर्म्स एक्ट की धारा-25 की कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-9 है, जिसके ए से ए तथा बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने आरक्षक क्रमांक-1329 को थाना रूपझर भेजकर असल अपराध क्रमांक-133/16 अंतर्गत धारा-379 भा.द.वि. 41(1-4) आर्म्स एक्ट की धारा-25 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसने साक्षी सुखलाल व संजू, गौरव एवं नरेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। विवेचना के दौरान उसे ज्ञात हुआ कि आरोपी भागचंद मेरावी के पास से जप्त मोबाईल फोन की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली जिला बालाघाट में अपराध क्रमांक-475/16 अंतर्गत धारा-457, 380 भा.द.वि. कुमारी पूजा पंचेश्वर की रिपोर्ट पर दर्ज है, इसलिए चोरी का घटनास्थल थाना कोतवाली बालाघाट होने से प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन दो सिम एवं मेमोरी कार्ड सहित फर्ड चालान थाना कोतवाली बालाघाट को भेजा गया था तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् आरोपी के विरुद्ध धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोगपत्र तैयार कर न्यायालय समक्ष प्रस्तुत

किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने संपूर्ण कार्यवाही पुलिस चौकी सोनगुड्डा में बैठकर की थी।

6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी नरेन्द्र अ.सा.1 ने कहा है कि वह नवंबर 2014 से सोनगुड्डा चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी भागचंद को जानता है। उसे दिनांक-22.08.14 को घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। उसे चौकी प्रभारी आर.के. गुप्ता ने बताया था कि सोनगुड्डा बालक छात्रावास के पास धारदार हथियार लेकर जा रहा है। उक्त सूचना पर वह थाना प्रभारी, आरक्षक गौरव गिरी के साथ बालक छात्रावास सोनगुड्डा गया था, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा था, जो बका था। आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने पर उसने अपना नाम भागचंद मेरावी निवासी सोनगुड्डा बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक इंटेक्स मोबाईल तथा आईडिया एवं डोकोमो की सिम थी। आरोपी ने उक्त मोबाईल गंगानगर से दिनांक-20.08.16 को चारी करना बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी का मकान सोनगुड्डा में है और वह खेती का कार्य करता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, तब आरोपी बका लेकर खेत की ओर जा रहा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि कृषि कार्य में पानी की निकासी हेतु जप्त किये गए हथियार का उपयोग होता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्तशुदा हथियार एवं मोबाईल को बिना पंचनामा बनाए जप्त कर लिया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी से जो बका जप्त किया गया था वह बाजार में उपलब्ध हो जाता है और घटना दिनांक को उसने आरोपी को किसी भी बके से डराते-धमकाते नहीं देखा था।

7— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गौरव गिरी अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी भागचंद मेरावी को जानता है। घटना दिनांक-22.08.2016 की है। वह उस समय सोनगुड्डा चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। चौकी प्रभारी आर.के. गुप्ता को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शासकीय आदिवासी छात्रावास के पास हाथ में धारदार हथियार लिये घूम रहा है और लोगों को डरा-धमका रहा था। वह चौकी प्रभारी के साथ घटनास्थल पर गया था और देखा कि वह व्यक्ति लोगों को हथियार लेकर डरा रहा था, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा था, जिसने अपना नाम भागचंद निवासी सोनगुड्डा बताया था। आरोपी से हथियार जप्त कर हथियार रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछे जाने पर उसने लायसेंस नहीं



होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर इंटेक्स का एक मोबाईल फोन मिला था, जिसमें एक मेमोरी कार्ड था। मोबाईल फोन के बारे में पूछे जाने पर उसने बालाघाट गंगानगर से मोबाईल चुराना बताया था। आरोपी से मोबाईल एवं सिम कार्ड जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी लाए थे, आरोपी से जो हथियार जप्त किया गया था वह बका था। उसने पुलिस को बयान दिया था। आरोपी से घटनास्थल पर जप्ती की कार्यवाही चौकी प्रभारी द्वारा की गई थी। बके की लंबाई लगभग 7-8 इंच रही होगी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा बयान देना स्वीकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी सोनगुड्डा का रहने वाला है, जहां उसकी खेती बाड़ी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्तशुदा हथियार को उसके समक्ष नापा गया था और उसकी लंबाई 7-8 इंच थी। साक्षी ने कहा है कि प्रकरण की महत्वपूर्ण कार्यवाही विवेचक गुप्ता द्वारा की गई थी, उसे इस प्रकरण की कार्यवाही के विषय में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि गांव के लोगों ने यदि झूठी जानकारी आरोपी को फंसाने के लिए पुलिस को दी हो तो वह नहीं बता सकता।

8- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सुखलाल अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है। घटना उसके बयान देने के तीन माह पूर्व सुबह के समय की है। वह छात्रावास की तरफ जा रहा था, तब उसने देखा कि आरोपी लोहे का धारदार बका लेकर घूम रहा था और आने-जाने वाले लोग उससे डर रहे थे। पुलिस वहां आई थी और भागचंद को लेकर गई थी, तब वह भी चौकी गया था। आरोपी ने उसके समक्ष मेमोरेण्डम कथन लेख कराया था और बताया था कि उसने एक मोबाईल चोरी किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से बका जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से मोबाईल जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष आरोपी भागचंद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-4 दस्तावेजों को पढ़कर एवं समझर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने आरोपी को किसी व्यक्ति को धमकाते हुए नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि

उसने आरोपी को बका लेकर घूमते हुए नहीं देखा। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने चौकी प्रभारी के कहने पर जप्ती एवं मेमोरेण्डम के कागजातों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को मेमोरेण्डम कथन अथवा बयान देते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी के संबंध में पुलिस चौकी में कोई भी बयान नहीं दिया था और न ही आरोपी से कोई सामान जप्त हुआ देखा था। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में तात्त्विक विरोधाभासी कथन किये हैं।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संजू उइके अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। आरोपी भागचंद उसका साला है। क्या हुआ था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक-22.08.16 को पुलिस ने आरोपी को घेरकर पकड़ा था, परंतु इस बात से इंकार किया कि आरोपी के पास धारदार बका था, जिसे पुलिस ने जप्त किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं, परंतु यह भी कहा है कि सभी कागजातों पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

10— प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक-22.08.16 को विवेचना आर.के. गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि घटनास्थल बालक छात्रावास सोनगुड्डा के पास आरोपी बका लेकर घूम रहा था और आते-जाते लोगों को डरा-धमका रहा था। मौके पर हमराह बल के साथ पहुंचकर आरोपी के आधिपत्य से बका जप्त किया गया था। जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-2 तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी-4 पूरी की गई थी। उपरोक्त कार्यवाही का साक्षी सुखलाल अ.सा.2, नरेन्द्र अ.सा.1 ने समर्थन कर कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी के पास से बका जप्त किया गया था, जिसकी अनुज्ञप्ति आरोपी के पास नहीं थी। घटना के विषय में स्वतंत्र साक्षी सुखलाल अ.सा.2 ने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि आरोपी को घटना दिनांक को घेरकर पकड़ा गया था और उसके पास से बका जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तथा आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया जाना स्वीकार किया है, वहीं प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने उपरोक्त सभी तथ्यों से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संजू उइके अ.सा.5 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

जप्तशुदा बके को मौके पर सील किया गया हो, इस आशय का कोई कथन विवेचक आर.के. गुप्ता ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया है। जप्तशुदा बका न्यायालय में बुलाया जाकर उस पर आर्टिकल अंकित अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। “माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने अपने न्यायदृष्टांत काले बाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ, एम.पी. 2008(4) एम.पी.एच.टी. 397 में प्रतिपादित किया गया है कि जब्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी उकसे महत्व को खो देती है और आरोपी दोषमुक्ति का हकदार होता है” प्रकरण में विवेचक द्वारा यह कहा गया है कि उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना प्राप्त होने के विषय में इस बात का इंद्राज रोजनामचा सान्हा में किया गया था और वह रोजनामचा सान्हा अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रदर्शित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपी भागचंद मेरावी को धारा-25(1-बी)(बी) सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त मुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में आरोपी दिनांक-22.08.16 से दिनांक-15.02.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा बका प्रस्तुत नहीं किया गया है, तत्संबंध में विवेचक को लेख किया जावे कि बका मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।**

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट